

**अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) महोदय, आगरा की अध्यक्षता में दिनांक  
13 नवम्बर, 2025 को शाम 6:00 बजे से जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के  
अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।**

अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) महोदय, आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 13 नवम्बर, 2025 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक में अधिशासी अभियन्ता, सफ़्ट कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), समस्त सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), श्री विवेक सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, श्री अभिषेक, आर०ए०ए०३०० किरावती, श्री पंचम कुमार, सहायक अभियन्ता, सिंचाई, श्री रविन्द जैन, डीपीएम, टीपीआई, श्री भूपेन्द्र शर्मा, डी०आई०एस० एक्सपर्ट, डीपीएम, कार्यदायी संस्था में एन०सी०सी० लि० से श्री रमेश कृष्ण, डीपीएम, १० फेस इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० से श्री गवीन बजराला, प्रोजेक्ट मैनेजर और श्री दीपक कुमार डीपीएम आदि उपस्थित रहे।

**बैठक में चर्चाई रखे गए आधारित ग्राम समूह पेयजल योजना की प्रगति पर एजेन्सीवार चर्चा की गयी -**

**१० एन०सी०सी०-एफको(जे०बी०) पैकेज-०१**

- भूमिगत जलाशय (CWR) की प्रगति-** जल जीवन मिशन के अन्तर्गत १० एन०सी०सी० द्वारा कुल 17 सी०डब्ल्यू०आर० का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी है। 08 सी०डब्ल्यू०आर पर 51-75 प्रतिशत एवं 11 सी०डब्ल्यू०आर पर 76-99 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है जिस पर अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) महोदय द्वारा डीपीएम, एन०सी०सी० को तत्काल नैनपावर व मशीनरी बढ़ाते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता पर कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये। इसके साथ ही निर्देशित किया गया कि टीपीआई तथा जल निगम के अभियन्ताओं द्वारा आरएमटी प्लॉट पर निर्माण सामग्री की नियमित जाँच की जाये।
- पम्प हाउस (Pump House) की प्रगति-** जल जीवन मिशन के अन्तर्गत १० एन०सी०सी० द्वारा 17 सी०डब्ल्यू०आर तथा 17 पम्प हाउस का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि 15 सी०डब्ल्यू०आर के पम्प हाउस पर 51-75 प्रतिशत एवं 02 नम सी०डब्ल्यू०आर के पम्प हाउस पर 76-99 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है, जिस पर अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) महोदय द्वारा डीपीएम, एन०सी०सी० को तत्काल नैनपावर व मशीनरी बढ़ाते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता पर कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये।
- पाइप लेइंग -** अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था को कुल 1967.71 किमी. पाइप बिछाये जाने के सापेक्ष 1108 किमी कार्य पूर्ण हो चुका है। जिसमें से MS Pipe 165.31 किमी० एवं DI Pipe 1802.40 किमी० बिछाया जाना प्रस्तावित है MS Pipe 156.74 किमी० एवं DI Pipe 1708.19 किमी० पाइप की आपूर्ति की जा चुकी है तथा MS Pipe 66.90 किमी० एवं DI Pipe 1041.09 किमी० पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) महोदय द्वारा डीपीएम एन०सी०सी० को निर्देशित किया गया कि तीन व नैनपावर की संख्या बढ़ाते हुए, स्वीकृत ड्राइंग एवं डिजाइन तथा गुणवत्ता मानकों का पालन कराते हुए कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- हाइड्रोटेस्टिंग-** समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि 1108 किमी पाइप लेइंग की गयी है जिसके सापेक्ष 219.10 किमी की हाइड्रोटेस्टिंग हुई है जो कि बहुत कम है इस पर अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी तथा डीपीएम, एन०सी०सी० को निर्देशित किया गया कि निर्धारित मानकों के अनुसार सभी पाइपों की हाइड्रोटेस्टिंग की जाये। हाइड्रोटेस्टिंग टीपीआई तथा जल निगम के सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ताओं की उपस्थिति में की जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जो पाइप बिछाये जा चुके हैं सभी की अनिवार्य रूप से मानक के अनुसार प्रेशर बनाए रखते हुए हाइड्रोटेस्टिंग की जाये जिससे भविष्य में पानी लीकेज की समस्या न हो।
- रोड रेस्टोरेशन-** अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था १० एन०सी०सी० द्वारा रोड डिस्नेन्टिंग 20.89 किमी की गयी है जिसके सापेक्ष में 5.38 किमी कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 15.31 किमी० रोड रेस्टोरेशन का कार्य लंबित है। जिस पर अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए रोड रेस्टोरेशन का कार्य सहायक अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) अपनी देख रेख में ब्लॉक स्तर के तबतित जू० इंजीनियर एवं ग्राम पंचायत के लेखपाल की उपस्थिति में रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- नॉन-कंप्लायंस रिपोर्ट-** अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि १० एन०सी०सी० पर कुल 79 एन०सी० लगायी गयी थी जिसमें से 78 एन०सी० का अनुपालन हो गया है। वर्तमान में 03 एन०सी० अभी लंबित है जिनको अभी तक कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्ण नहीं की गया है। जिस पर अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) महोदय द्वारा १० एन०सी०सी० के डीपीएम, को निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द लंबित एन०सी० का नियमानुसार पूर्ण कराये तथा अनुपालन आख्या निजवाये।

7. एनओसी- अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) महोदय द्वारा 10 एनसीसी को डीजीएम को निर्देशित किया गया कि नियमानुसार स्टीपेट पीस के भुगतान को तत्काल किया जाये। इसके साथ-साथ रेलवे एवं विभाग से सम्बन्धित जितनी भी एनओसी पेटिंग है उसके लिए सम्बन्धित अधिकारी से बातें कर प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करें।

#### 10 मेघा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, पैकेज-02

1. अपर जलाशय (OHT) की प्रगति- अधिशासी अभियंता 0090 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था 10 मेघा इंजीनियरिंग द्वारा अभी तक 407 को सापेक्ष मात्र 388 ओएचटी0 पर कार्य किया जा रहा है। जिसमें 257 ओएचटी पर 0-25 प्रतिशत, 95 ओएचटी पर 26-50 प्रतिशत, 45 ओएचटी पर 51-75 प्रतिशत, 10 ओएचटी पर 76-99 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है। टीपीआई द्वारा बताया गया कि 371 ओएचटी पर पीसीसी का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष बची हुई 17 ओएचटी पर खुदाई का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 10 ओएचटी पर कार्य अनारम्भ है। 232 ओएचटी हाउण्ड लेवल से ऊपर आ चुकी है। 95 ओएचटी पर स्टैबिंग बीम का कार्य हो चुका है। 45 ओएचटी पर स्लैब का कार्य पूर्ण हो चुका है। जिनमें से 10 ओएचटी पर जिक एलन टैंक का कार्य पूर्ण हो चुका है। टीपीआई0 द्वारा बताया गया 1660 के सापेक्ष मात्र 115 मैनपावर उपलब्ध है जो कि बहुत कम है जिससे निर्माण कार्य अथवा पीपी गति से हो रहा है जिस पर अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) महोदय द्वारा नाराजगी प्रकट करते हुए 10 मेघा इंजी0 के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि तत्काल मैनपावर बढ़ायें एवं कार्य को ससमय गुणवत्ता के साथ पूर्ण करें तथा शेष बची 36 ओएचटी पर शीघ्र ही खुदाई/पीसीसी का कार्य करावें।
2. पाइप लेइंग- अधिशासी अभियंता 0090 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि पाइप लेइंग के अन्तर्गत कुल 7567.76 किमी पाइप बिछाये जाने का लक्ष्य है जिसमें से कुल 6033 किमी0 पाइप की आपूर्ति की जा चुकी है तथा कुल 3941.28 किमी पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) महोदय द्वारा 10 मेघा के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि वह शेष डिस्ट्रीब्यूशन पाइप की आपूर्ति को लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा टीम व मैन पावर की संख्या बढ़ाते हुए गुणवत्ता मानकों का पालन करते हुए कार्य कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही टीपीआई0 को निर्देशित किया गया कि पाइप बिछाये जाने के दौरान लेइंग की गहराई का विशेष ध्यान रखते हुए मानक के अनुसार कार्य कराना सुनिश्चित करें।
3. हाइड्रोटेस्टिंग- सनीसा बैठक में अधिशासी अभियंता 0090 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि 3941.28 किमी पाइप लेइंग की गयी है जिसके सापेक्ष 574.87 किमी की हाइड्रोटेस्टिंग हुई है जो कि बहुत कम है इस पर अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी तथा पीएम, मेघा इंजी0 को निर्देशित किया गया कि निर्धारित मानकों के अनुसार सभी पाइपों की हाइड्रोटेस्टिंग की जाये। हाइड्रोटेस्टिंग टीपीआई तथा जल निगम के सहायक अभियंता/अपर अभियंताओं की ज्वाइंट उपस्थिति में की जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जो पाइप बिछाये जा चुके हैं सभी की अनिवार्य रूप से मानक के अनुसार प्रेशर बनाए रखते हुए हाइड्रोटेस्टिंग की जाये जिससे भविष्य में पानी लीकेज की समस्या न हो।
4. रोड रेस्टोरेशन- अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था 10 मेघा इंजी0 द्वारा रोड रिस्टोरेशन 1295 किमी की गयी है जिसके सापेक्ष में 1178.43 किमी कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 118.57 किमी0 रोड रेस्टोरेशन का कार्य लंबित है। जिस पर अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) महोदय द्वारा नाराजगी प्रकट की गयी। 10 मेघा के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि तत्काल मैनपावर व मशीनरी बढ़ाते हुए रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें एवं पाइप लाइन बिछाने के दौरान सी0 रोड की कटिंग जे0सी0 से न कराकर रोड कटर से करावें व कॉम्पेक्टर के माध्यम से पूर्ण कॉम्पैक्शन करावें। अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए रोड रेस्टोरेशन का कार्य सहायक अभियंता जल निगम (ग्रामीण) अपनी देख रेख में ब्लॉक स्तर के सम्बन्धित जू0 इंजीनियर की उपस्थिति में रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जहाँ-जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हैं वहाँ सम्बन्धित सहायक अभियंताओं द्वारा सेफ्टी मेजर का विशेष ध्यान रखा जाये, यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही होती है तो सम्बन्धित की जबाबदेही निर्धारित करते हुए कठोर कार्रवाही की जायेगी।
5. नॉन-कंप्लायंस रिपोर्ट- टीपीआई के डीपीएम द्वारा बताया गया कि 10 मेघा इंजीनियरिंग को कुल 168 एनसी0 लगायी गयी थी जिसमें से 121 एनसी0 का अनुपालन हो गया है। वर्तमान में 47 एनसी0 अभी लंबित है जिनको अभी तक कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्ण नहीं की गयी है, जिस पर अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) महोदय द्वारा 10 मेघा इंजीनियरिंग के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द लंबित एनसी0 को नियमानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
6. एनओसी- अधिशासी अभियंता, 0090 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि 10 मेघा इंजी0 द्वारा एनओसी के कार्यों में रुचि नहीं ली जा रही है वन विभाग में NDC के लिए 10 मेघा इंजी0 द्वारा ऑनलाइन

आवेदन नहीं किया गया। अतः मैग मेगा इंजी० के डीपीएम को निर्देशित किया गया कि उन विभाग की एन०सी०सी० तत्काल अर्पित करें।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि परियोजना के ओएचटी, सीडब्ल्यूआर पर निर्माण कार्य तथा पाट्ट प्लेइंग आदि को निर्धारित डिजाइन ड्रॉइंग एवं गुणवत्ता मानकों के अनुरार तीव्र गति से पूर्ण करावें, नए संयोजन प्रत्येक दशा में घरों के अन्दर किये जावें। रोड रेस्टोरेशन के कार्यों को गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए पूर्ण कराया जावे तथा सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से मालन किया जावे। यदि भविष्य में निरीक्षण में उक्त के सम्बन्ध में लापरवाही/कमी पायी जाती है अथवा इस सम्बन्ध किसी भी प्रकार की शिकायत की पुष्टि होती है तो अनुबंध के अनुसार सुसंगत धाराओं/शर्तों के आधार पर कठोर दण्डालाक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आप सभी का होगा।

अविशासी अनियंता/ सदस्य सचिव  
(जिला पंचजल एवं स्वच्छता मिशन)  
आगरा।

कार्यालय जिलाधिकारी आगरा।  
(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति)

पत्रांक 1309/जे०के०एन०/का०३०/

बैठक

दिनांक 24/11/2025

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अविशासी निदेशक महोदय, राज्य पंचजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को सादर अपलोचनाार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय, को सादर सूचनाार्थ।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय।
4. अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, आगरा।
5. अविशासी अनियंता, उ०प्र० जल निगम (वि०/सी०), आगरा को इस निर्देश के साथ जहाँ-जहाँ शिथिल कार्य पूर्ण हो चुका है वहाँ पर E&M के उपकरण/मशीनरी की आपूर्ति कराकर सीधे डी इन्वॉलेशन का कार्य प्रारम्भ करावे।
6. सार्वजनिक अभियंता उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आगरा इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह स्वयं अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर अपने पर्यवेक्षण में गुणवत्ता एवं मानकों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
7. डी०पी०एम०, मिशनर कन्सल्टिंग इंजीनियर्स (इण्डिया) प्रा० लि० आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सतत पर्यवेक्षण करते हुए गुणवत्ता मानकों का विशेष ध्यान रखें।
8. जिला सन्वयक, जिला परियोजना अनुमदन इकाई (डी०पी०एम०ओ), आगरा को अनुपालनाार्थ।
9. डी०जी०एन०, मैसर्स एन०सी०सी० एफको (जे०के०) (पि०के०-1), आगरा को अनुपालनाार्थ।
10. प्रोजेक्ट मैनेजर, मैसर्स मेगा इंजी० एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० (पि०के०-2), आगरा को अनुपालनाार्थ।

अविशासी अनियंता/ सदस्य सचिव